



मसौदा भू-वरिसत स्थल और भू-अवशेष वधियक, 2022

प्रलिस के लयि:

GSI, UNESCO, उचति मुआवजे का अधकिर, RFCTLARR अधनियिम ।

मेन्स के लयि:

ड्राफ्ट भू-वरिसत स्थल और भू-अवशेष वधियक ।

चर्चा में क्यो?

हाल ही में खान मंत्रालय ने मसौदा भू-वरिसत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) वधियक, 2022 अधसूचति कयि है ।

- इस वधियक का उद्देश्य भूवैज्ञानिकि अध्ययन, शकिषा, अनुसंधान और जागरूकता बढ़ाने के लयि **भू-वरिसत स्थलों** एवं राष्ट्रीय महत्त्व के भू-अवशेषों की घोषणा, सुरकषा, संरक्षण तथा रखरखाव करना है ।
- भारतीय भूवैज्ञानिकि सर्वेक्षण ने शवालिकि जीवाश्म उद्यान, हमिचल प्रदेश; स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिलि उद्यान, झारमार्कोट्टा रॉक फॉसफेट डिपॉजिटि, उदयपुर ज़िला; आकल जीवाश्म उद्यान, जैसलमेर सहति 32 भू-वरिसत स्थलों की घोषणा की है । **कई भू-वरिसत स्थल जीर्णावस्था में हैं ।**

वधियक के प्रमुख बडि:

- **भू-वरिसत स्थलों की परभाषा:**
 - यह मसौदा वधियक भू-वरिसत स्थलों को "भू-अवशेषों और घटनाओं, स्ट्रैटिग्राफिकि प्रकार के वर्गों, भूवैज्ञानिकि संरचनाओं एवं गुफाओं सहति भू-आकृतियों, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय हति की प्राकृतिकि रॉक-मूर्तियों वाली स्थलों" के रूप में परभाषति करता है । इसमें इन स्थलों से सटे भूमि का ऐसा हसिसा शामिल भी है, जो उनके संरक्षण अथवा ऐसे स्थलों तक पहुँचने के लयि आवश्यक हो सकता है ।
- **भू-अवशेष:**
 - भू-अवशेष को "तलछट, चट्टानों, खनजिों, उल्कापडि या जीवाश्मों जैसे भूवैज्ञानिकि महत्त्व या रुचिके कसिी भी अवशेष या सामगरी" के रूप में परभाषति कयि गया है ।
 - **भारतीय भूवैज्ञानिकि सर्वेक्षण (GSI)** के पास "इसके संरक्षण एवं रखरखाव के लयि" भू-अवशेष प्राप्त करने की शक्ति होगी ।
- **केंद्र सरकार का अधकिर:**
 - यह केंद्र सरकार को भू-वरिसत स्थल को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषति करने के लयि अधिकृत करेगा ।
 - यह भूमि अधगिरहण, पुनरवास और पुनरस्थापन में उचति **मुआवज़ा और पारदरशति का अधकिर** अधनियिम, 2013 (RFCTLARR Act) के प्रावधानों के अंतरगत होगा ।
- **भूमि धारक को मुआवज़ा:**
 - इस अधनियिम के तहत कसिी भी अधकिर के प्रयोग के कारण भूमिके मालकि या धारक को हुए नुकसान या क्षतिके लयि मुआवज़े का प्रावधान कयि गया है ।
 - कसिी भी संपत्तिका बाज़ार मूल्य RFCTLARR अधनियिम में नरिधारति सदिधांतों के अनुसार नरिधारति कयि जाएगा ।
- **नरिमाण पर प्रतबिंध:**
 - वधियक भू-वरिसत स्थल कषेत्र के भीतर कसिी भी इमारत के नरिमाण, पुनरनरिमाण, मरममत या नवीकरण या कसिी अन्य तरीके से ऐसे कषेत्र के उपयोग पर प्रतबिंध लगाता है, सविय भू-वरिसत स्थल के संरक्षण एवं रखरखाव के लयि नरिमाण या जनता के लयि आवश्यक कसिी भी सार्वजनिकि कार्य को छोड़कर ।
- **दंड:**
 - भू-वरिसत स्थल में GSI के महानदिशक द्वारा जारी कयि गए कसिी भी नरिदेश के खंडन, परविरतन, वरिूपता या उल्लंघन के लयि दंड का उल्लेख कयि गया है ।
 - इसमें **छह माह तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों** लगाया जा सकता है । नरितर उल्लंघन के मामले में प्रत्येक दनि

के लिये 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

चर्चाएँ:

- वधियक में उल्लिखित अधिकारों के वितरण को लेकर चर्चाएँ व्यक्त की गई हैं।
- यह बताता है कि GSI के पास तलछट, चट्टानों, खनजिों, उलकापडिों और जीवाश्मों के साथ-साथ भूवैज्ञानिक महत्त्व के स्थलों सहित भूवैज्ञानिक महत्त्व की किसी भी सामग्री को प्राप्त करने का अधिकार है।
- इन स्थलों की सुरक्षा के उद्देश्य से कया जाने वाला भूमि अधगिरहण स्थानीय समुदायों के साथ मतभेदों को जन्म दे सकता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:

- इसकी स्थापना वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिये कोयला भंडार की खोज हेतु की गई थी।
- पछिले कुछ वर्षों में यह न केवल देश में वभिन्न कषेत्रों में आवश्यक भू-वज्ज्ञान सूचनाओं के भंडार के रूप में विकसति हुआ है, अपति इसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के रूप में भू-वैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त कया है।
- GSI के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना और खनजि संसाधन मूल्यांकन एवं अद्यतन से संबंधित हैं।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके छह कषेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शलांग तथा कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक राज्य की एक राज्य इकाई होती है।
- वर्तमान में GSI खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है।

आगे की राह

- भूगर्भीय रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के अलावा एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो वशिष रूप से भू-वसित मूल्य के स्थलों की रक्षा करे क्योंकि भारत वर्ष 1972 से वशिव सांस्कृतिक और प्राकृतिक वसित के संरक्षण से संबंधित [युनेसको कनवेंशन](#) का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/draft-geo-heritage-sites-and-geo-relics-bill,-2022>

